

पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. १०१, प्रथम तल, विन्डसर विलेज, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड,
विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८
सीआईएन नं.: U40101MH2012GOI357938

विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १५ की उप-धारा (२) के अंतर्गत

१. पैट्रन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. १०१, प्रथम तल, विन्डसर विलेज, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८ में है और जिसका गठन कंपनी अधिनियम, १९५६ के अंतर्गत किया गया है, ने विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १५ की उप-धारा (१) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ("सीईआरसी"/"आयोग") के समक्ष रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म ("आरटीएम") के अधीन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन अर्थात् "४००/२२० केवी पैट्रन (जीआईएस) सबस्टेशन (यहां के बाद "ट्रांसमिशन सिस्टम" पर १x५०० एमवीए, ४००/२२० केवी आईसीटी (तीसरा) तक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के विस्तार" के उद्देश्य से लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	लाइन/सबस्टेशन (लोकेशन) का नाम (ट्रांसमिशन सिस्टम का स्कोप)	लाइन लम्बाई/क्षमता (क्षमता/किमी.)	सीटीयूआईएल द्वारा प्रदान किये गये अनुसार अनुमानित लागत	कमीशनिंग अनुसूची	टिप्पणी
१	आईसीटी-टाई-लाइन के नये डायमीटर में जीआईएस डक्ट (४०० केवी एवं २२० केवी) के साथ ४००/२२० केवी पैट्रन (जीआईएस) सबस्टेशन पर १x५५०० एमवीए, ४००/२२० केवी आईसीटी (तीसरा) तक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का विस्तार	५०० एमवीए ४००/२२० केवी आईसीटी-१ नं. ४०० केवी आईसीटी बे (जीआईएस)- १ नं. - भावी लाइन (जीआईएस हॉल के आउटसाइड तक डक्ट) के लिए डायमीटर पूर्णता हेतु ४०० केवी बे (जीआईएस)-१ नं. २२० केवी आईसीटी बे (जीआईएस)-१ नं.	आईएनआर ६५,१९,००,०००.०० (प्राइस लेवल: नव. २०२२)	सीटीयूआईएल द्वारा २८.११.२०२२ को जारी ओएम की तिथि से २१ माह	-

२. आयोग के समक्ष दाखिल किये गये पूर्ण आवेदन एवं अन्य दस्तावेज वेबसाइट <https://www.indigrid.co.in/documents-manager/> पर उपलब्ध है और इसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय यूनिट नं. १०१, प्रथम तल, विन्डसर विलेज, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८ में श्री पिकेश कुमार या आयोग द्वारा विनिर्देशित प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
३. किसी व्यक्ति द्वारा सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, आवेदक को उसके कारपोरेट कार्यालय के पते पर एक प्रति सहित, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोको बिल्डिंग, ३६, जनपथ, नई दिल्ली-११० ००१ को इस सूचना के प्रकाशन के ३० दिनों के अंदर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

स्थान: मुंबई
तिथि: १८.०३.२०२३

हस्ता./-
सतीश तलमले
निदेशक